

अत्यावश्यक
पंचायत उप चुनाव, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-52/2023-2779
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
(कैमूर, सुपौल एवं नालन्दा को छोड़कर।)

पटना, दिनांक - 28 जुलाई, 2023

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन, 2023 : रिक्त पदों की विवरणी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- आयोग का पत्रांक 2663 दिनांक 19.07.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मई 2023 में सम्पन्न कराये गये पंचायत उप निर्वाचन, 2023 के पश्चात कतिपय कारणों यथा मृत्यु, त्यागपत्र एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136 (1) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किये जाने या अन्य कारणों से दिनांक 15.07.2023 तक उत्पन्न रिक्त पदों की विवरणी दिनांक 25.07.2023 तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2023 तक भेजा जाना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-32/2022-2779
प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर को राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 28 जुलाई, 2022

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-52/2023-2779
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 28 जुलाई, 2023

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-52/2023-2779
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 28 जुलाई, 2023

सचिव।

25.7.23